कार्यालय, प्राचार्य नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय, जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0
Email – gsangeetcollegejdp@gmai.com Phone : 07782-225216

क्र0/ 63 /स्था0/2026 जगदलपुर, दिनॉक 19/ 8 /2026

——— अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अध्यापन हेतु संक्षिप्त विज्ञापन ———

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय छ0ग0 शासन, ब्लाक– सी द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0) के पत्र कमांक ESTB/2035/637/2026/ RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर दिनांक 18/08/2026 के अनुसार नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0 में विषय– लोक संगीत एवं शास्त्रीय गायन (हिन्दुस्तानी) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से **अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।** आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 29/08/2026 को सायं 05 बजे तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा स्वयं महाविद्यालय के कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। ई– मेल में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। संपूर्ण योग्यता तथा चयन प्रकिया अतिथि व्याख्याता नीति – 2024(यथा संशोधित 2026) के परिपालन में किया जायेगा। । रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है –

// रिक्त पद का विवरण//

क्रमांक	विषय	सहायक प्राध्यापक का रिक्त पद एवं संख्या	रिमार्क
01	लोक संगीत	01	–
02	शास्त्रीय गायन (हिन्दुस्तानी)	01	–

टीप : – संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति /नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता/अतिथ शिक्षण सहायक का सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

नोट :– विस्तृत विज्ञापन अग्रणी महाविद्यालय जिला बस्तर के नोटिश बोर्ड/एवं महाविद्यालय के वेबसाइड **http://www.dmpgcjdp.ac.in** पर अपलोड किया गया है जहां से शैक्षणिक योग्यता, मानदेय, आयुसीमा आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्राचार्य
नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय
जगदलपुर जिला बस्तर छ0ग0

Scanned with OKEN Scanner

अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)–2024 (यथा संशोधित 2026)

1. प्रस्तावनाः –

वर्तमान में राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के नियमित पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं का अध्यापन, प्रायोगिक, खेल–कूद, पुस्तकालय एवं अन्य कार्य प्रभावित होते है। अतः कक्षाओं में अध्यापन कार्य तथा पुस्तकालय एवं खेल–कूद संबंधी कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु यह नीति प्रस्तावित है। इन नीति के तहत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदकों के उपलब्ध होने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जा सकेगी एवं निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था की जा सकेगी।

इस नीति में आगे की कंडिकाओं में अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक, ग्रंथालय सहायक, क्रीड़ा सहायक को संबोधन हेतु **''अतिथि व्याख्याता एवं अन्य''** उल्लेखित किया जायेगा इस नीति के अंतर्गत उल्लेखित रिक्त पद का तात्पर्य सीधी भर्ती के रिक्त पद से होगा। यह नीति छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संचालित राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालय के लिए वर्ष 2024–25 के शिक्षा सत्र से लागू होगी तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

2. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के रिक्त पदों की गणनाः –

2.1 स्वीकृत नियमित प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक रख सकते हैं, इनके लिए पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं होगा।

2.2 प्रत्येक शिक्षा सत्र में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित शिक्षकों के स्वीकृत पदों क्रमशः प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या उस शिक्षा सत्र के लिए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए रिक्त पदों की संख्या मानी जायेगी।

2.3 किन्तु सभी रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन जारी करना अनिवार्य नहीं होगा अपितु अध्यापन की आवश्यकता एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड एवं निर्धारित वर्कलोड के अनुसार विज्ञापन जारी किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

4.3 मेरिट सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड/वेबसाईट में किया जायेगा। प्रकाशन दिनांक से 03 दिन के भीतर दावा–आपत्ति आमंत्रित की जायेगी, जिसका निराकरण समिति द्वारा 02 दिवस में किया जायेगा।

4.4 अंतिम सूची का प्रकाशन नोटिस बोर्ड/वेबसाईट पर किया जायेगा तथा संबंधितों को भी सूचित किया जायेगा।

4.5 इनके लिये शैक्षणिक /ग्रंथालय संचालन/क्रीड़ा संबंधित अनुभव का लाभ का प्रावधान होगा। अनुभव प्राप्त करने के लिये एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 05 माह कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

4.6 यदि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की विगत सत्र में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या आवेदित महाविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन एवं अन्य किसी प्रकार की शिकायत सही पाये जाने/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में सेवायें समाप्त की गई हो तो उनके आवेदन पर आगामी दो शैक्षणिक सत्रों तक विचार नहीं किया जायेगा।

5. आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः –

5.1 अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक /क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

5.2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–5.1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

ESTB/23066/2026-O/O ADDITIONAL DIRECTOR(COMMISSIONER OF HIGHER EDUCATION) I/521867/2026

5.3 **आयु सीमा** – अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक/ क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

5.4 छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

6. **मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण :– अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :–**

(अ) इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ – कुल अंक – 240
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 100 अंक प्रदर्शन एवं साक्षात्कार हेतु)

(ब) अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों हेतु – कुल अंक – 160
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 20 अंक साक्षात्कार हेतु)

(स) महाविद्यालयों हेतु – कुल अंक – 140
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक)

6.1 पी–एच.डी./नेट/सेट/एम.फिल के लिये अधिकतम 50 अंक

(क) पी–एच.डी. के लिए – 30 अंक
(ख) नेट/सेट के लिए – 20 अंक
(ग) एम.फिल. के लिए – 15 अंक

6.2 स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 50 अंक–
(55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 1 अंक दिया जायेगा)

6.3 शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु अधिकतम 10 अंक–
(पी–एच.डी./एम.फिल. में प्रकाशित शोध पत्रों को छोड़कर यूजीसी केयर जर्नल्स में प्रकाशित प्रत्येक शोध पत्र 02 अंक)

6.4 अनुभव के लिए अंधिकतम 30 अंक–
शासकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर **–05 अंक**

6.5 अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी की वरीयता सूची में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगाः –

श्रेणी–1 संबंधित विषय में पी–एच.डी.
श्रेणी–2 नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण
श्रेणी–3 संबंधित विषय में एम.फिल. धारक

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

ESTB/23066/2026-O/O ADDITIONAL DIRECTOR(COMMISSIONER OF HIGHER EDUCATION) I/521867/2026

6.6 अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक –

अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

6.7 विशेष टीपः –

1. विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में सर्वप्रथम अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जावेगी। श्रेणी–1 के अभ्यर्थी के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो क्रमशः श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 के अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जाएगा। उक्त तीनों श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था हेतु शेष अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जायेगा।

2. अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों में निर्धारित योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक एवं क्रीड़ा सहायक के अंतर्गत न्यूनतम अर्हता (स्नातकोत्तर में निर्धारित प्रतिशत) से न्यून अर्हता प्राप्त आवेदकों के आवेदन पर गुणानुक्रम के आधार पर विचार कर चालू शैक्षणिक सत्र के लिए अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। किन्तु यह व्यवस्था योग्य अभ्यर्थी मिलने पर अथवा केवल चालू शैक्षणिक सत्र के लिए प्रभावशील होगी।

6.8 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा यदि चालू शिक्षा सत्र में उच्च शैक्षणिक अर्हता अर्जित की जाती है तो समिति द्वारा संबंधित मार्कशीट/उपाधि का सत्यापन करने के दिनांक से वरीयता क्रम में संशोधन एवं बढ़े हुए मानदेय के लाभ की पात्रता होगी। इस हेतु संस्था प्रमुख के समक्ष प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

9.7 अधिसूचित क्षेत्र की जिन शिक्षण संस्थानों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि में 55 अथवा 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक को शिथिल करते हुए अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक /क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था की गई है, में भी नवीन शिक्षा सत्र में विज्ञापन जारी किया जाकर कंडिका–06 अनुसार वरीयता सूची अनुसार व्यवस्था की जायेगी।

10. मानदेयः–

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार है :–

- **अतिथि व्याख्याता मानदेय** – 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)
- **अतिथि ग्रंथपाल/ क्रीडा अधिकारी** – 1600/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000/–)
- **अतिथि शिक्षण सहायक** – 1400/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/–)
- **अतिथि ग्रंथपाल सहायक/ अतिथि क्रीड़ा सहायक** – 1200/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30,000/–)

10.1 विलोपित

10.2 अतिथि व्याख्याता/ अतिथि ग्रंथपाल/ अतिथि क्रीडा अधिकारी/ अतिथि शिक्षण सहायक/ अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक के लिए प्रतिदिन 07 घंटा कार्य किया जाना अनिवार्य है।

10.3 महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु शैक्षणिक कालखंडों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के समुचित एवं चहुंमुखी विकास की दृष्टि से अन्य गतिविधियों का संचालन एवं कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य से अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, विभिन्न योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में सहयोग लिया जाएगा इसके अतिरिकत वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। **उक्त के साथ–साथ प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे गऐ सभी कार्यो का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।**

10.4 विलोपित

10.5 विलोपित

10.6 विलोपित

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

ESTB/23066/2026-O/O ADDITIONAL DIRECTOR(COMMISSIONER OF HIGHER EDUCATION) I/521867/2026

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक .... को दिया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय /अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. मानदेयः—

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है :—

- अतिथि व्याख्याता मानदेय — 2000/— प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/—)
- अतिथि ग्रंथपाल / क्रीडा अधिकारी — 1600/— प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000/—)
- अतिथि शिक्षण सहायक— 1400/— प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/—)
- अतिथि ग्रंथपाल सहायक/ अतिथि क्रीड़ा सहायक — 1200/— प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30,000/—)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य .... एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक—सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक—सेवक नहीं कहलायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

ESTB/23066/2026-O/O ADDITIONAL DIRECTOR(COMMISSIONER OF HIGHER EDUCATION) I/521867/2026

13. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

संस्था प्रमुख
विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम ....
जिला–............................

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner